न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 303/2025 प्रार्थनापत्र

01. उदा पुत्र दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
02. चांदी पुत्री दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03. धर्मा पुत्र दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. प्रकाश पुत्र दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
05. भौगा पुत्र दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. भौली पत्नि दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
07. सुखी पुत्र दयाराम जाति गुर्जर निवासी–रलायता तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री हेमराज गुर्जर ––-अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार ––उपस्थित

दिनांक– 12.08.2025

:: निर्णय ::

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरुद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भुमि के खाता सख्या 5 के आराजी नम्बर आराजी नम्बर 397रकबा 0.7100 हैक्टयर ए हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो बिलानाम आराजी नम्बर 511/441, 443/439, में से होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 397रकबा 0.7100 हैक्टयर हैक्टयर भूमि मे आता जाता जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीवद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेडा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा के आराजी नम्बर 397 रकवा 0.7100 हैक्टयर हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु पक्की सडक के खसरा नम्बर 491/210 से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 443/439, रकबा 0.3171 हैक्टयर आराजी नम्बर 511/441 रकबा 7.0651 हैक्टयर विपक्षी संख्या 01 के के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी आराजी नम्बर 397 रकवा 0.7100 हैक्टयर हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु पक्की सडक के खसरा नम्बर 491/210 से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 443/439, रकवा 0.3171 हैक्टयर मे से 0.0280 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 511/441 रकवा 7.0651 हैक्टयर मे से 0.1000 हैक्टयर कुल रकवा 0.1280 भुमि रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की वहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 397 रकवा 0.7100 हैक्टयर हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु पक्की सडक के खसरा नम्बर 491/210 से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 443/439, रकवा 0.3171 हैक्टयर मे से 0.0280 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 511/441 रकवा 7.0651 हैक्टयर मे से 0.1000 हैक्टयर भूमि के रूप में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्ष क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसव

खाता सख्या 5 के आराजी नम्बर आराजी नम्बर 397रकबा 0.7100 हैक्टयर ए हैक्टयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सख्या 01 आराजी नम्बर 443/439. रकबा 0.3171 हैक्टयर मे से 0.0280 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 511/441 रकबा 7.0651 हैक्टयर मे से 0.1000 हैक्टयर भूमि के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.1280 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु राजकोष मे जमा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर करेडा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)